रजिस्ट्री सं० डी०(डी०)-73

REGISTERED No. D.(D.)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 15] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 15, 1978/चैत्र 25, 1900

No. 15] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 15, 1978/CHAITRA 25, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं

General Statutory Rules (includin; orders, bye-laws etc., of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 1978

सा०का०नि० 474.—केन्द्रीय सरकार सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की प्रथम अनुसूची के आदेश 27 के नियम 8ख के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व विधि मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) की अधिसूचना सं० सा०का०नि० 1412, तारीख 25 नवम्बर, 1960 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, मध्य प्रदेश से संबंधित मद 6 में, उप मद (ग) के सामने, द्वितीय स्तम्भ में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"श्री देव कृष्ण कटारे,
केन्द्रीय सरकार के स्थायी काउन्सेल"

यह अधिसूचना 1 मार्च, 1978 से प्रवृत्त होगी।

[सं० फा० 36(11)/74-न्या०]

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Legal Affairs)

New Delhi, the 28th February, 1978

G.S.R. 474.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of rule 88 of Order XXVII of the First Schedule to the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Law (Department of Legal Affairs) No. G.S.R. 1412, dated the 25th November, 1960, namely :—

In the Schedule to the said notification, in item 6 relating to Madhya Pradesh, against sub-item (c), for the entry in the second column, the following entry shall be substituted, namely :—

"Shri Deo Krishan Katare,
Central Government Standing Counsel."

This notification shall come into force with effect from the 1st day of March, 1978.

[No. F. 36(11)/74-Judl.]

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 1978

सा०का०नि०498.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, आकाशवाणी (श्रेणी 1 पद) भर्ती नियमावली, 1963 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं ; अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को आकाशवाणी (श्रेणी 1 पद) भर्ती (संशोधन) नियमावली, 1978 कहा जा सकेगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आकाशवाणी (श्रेणी 1 पद) भर्ती नियमावली, 1963 की अनुसूची में, क्रम संख्या 24 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अन्तः स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

1	2	3	4	5	6	7	8
25	श्रोता अनुसंधान अधिकारी	16	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अलिपिकवर्गीय	700-40-900-द०रो०-40-1100-50-1300 रुपए	लागू नहीं होता	40 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी कर्मचारियों के लिए छूट दी जा सकेगी) टिप्पणी : आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तिथि भारत में रहने वाले उम्मीदवारों (अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह और लक्षदीप में रहने वाले उम्मीदवारों को छोड़कर) से आवेदन पत्रों के प्राप्त होने की अन्तिम तारीख होगी।	आवश्यक : (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में डिग्री अधिमानतः समाज-विज्ञान, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, मानव-विज्ञान/या सांख्यिकी विषय के साथ। (2) लोकमत या समाज सेवा अनुसंधान या जन संचार अनुसंधान सहित सामाजिक आंकड़े एकत्रित करने और उनका विश्लेषण करने का 3 वर्ष का अनुभव। (अन्यथा सुअर्हित उम्मीदवारों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर अर्हताएं शिथिल की जा सकेंगी। विशेषकर अनुभव संबंधी अर्हता, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में उनके लिए आरक्षित पदों के लिए शिथिल की जा सकेगी)। वांछनीय : हिन्दी या अन्य भारतीय भाषा का पर्याप्त ज्ञान।

9	10	11	12	13	14
लागू नहीं होता	2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा, इसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा	प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण : उन अधिकारियों में से जो केन्द्रीय सरकार के अधीन समतुल्य पद पर कार्यरत हों या जिनको 550-900 के वेतनमान वाले या समकक्ष पदों पर कम से कम 5 वर्ष की नियमित सेवा हो और सीधे भर्ती किए जाने वालों के लिए निर्धारित अर्हताएं और अनुभव रखते हों। (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।	(1) उप सचिव (प्रसारण), सूचना और प्रसारण मंत्रालय—अध्यक्ष (2) श्रोता अनुसंधान निदेशक, आकाशवाणी, नई दिल्ली—सदस्य	सीधे भर्ती करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक होगा।

[सं० 12018/4/76-बी (ए)]

एम० एल० टण्डन, अवर सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 20th February, 1978

G.S.R. 498.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Class I Posts) Recruitment Rules, 1963, namely: —

1. (1) These rules may be called the All India Radio (Class I Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio (Class I Posts) Recruitment Rules, 1963, after serial number 24 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely :—

1 2	3	4	5	6	7	8
25. Audience Research Officer.	18	General Central Service Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 700-40-900-EB-40-1100-50-1300	Not applicable	Not exceeding 40 years. (Relaxable for Government Servants) Note :—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (Other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	Essential : (i) Second Class Degree of a recognised University preferably with Sociology, Psychology, Economics, Anthropology or Statistics as a subject. (ii) 3 years experience of collection and analysis of social Statistics, including public opinion polls or social service research or mass communication research. (Qualifications relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case candidates otherwise well-qualified ; in particular, the qualification regarding experience if relaxable in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes for posts reserved for them. Desirable : Adequate knowledge of Hindi or other Indian language.

9	10	11	12	13	14
Not applicable	2 years.	By direct recruitment, failing which by transfer on deputation.	Transfer on deputation : Officers under the Central Government holding analogous posts or with at least 5 years' regular service in posts in the scale of Rs. 550-900 or equivalent and the possessing educational qualifications and experience laid down for direct recruits. (Period of deputation shall ordinarily not exceed 3 years).	(i) Deputy Secretary (Broadcasting), Ministry of Information and Broadcasting—Chairman (ii) Director Audience Research, All India Radio New Delhi—Member.	Consultation with the Union Public Service Commission will be necessary while making direct recruitment.

[No. 12018/4/76-B(A)]
M. L. TANDON, Under Secy.

संचार मंत्रालय

(डाक-तार बोर्ड)

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 1978

सा० का० नि० 499.—संविधान की धारा 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा डाक-तार विभाग [पर्यवेक्षक (तकनीकी) पदक्रम 1 और 2] भर्ती नियम, 1959 के अधिक्रमण में राष्ट्रपति, डाक-तार विभाग में पर्यवेक्षकों (तकनीकी) के पदों के उम्मीदवारों की भर्ती को नियमित बनाने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. लघुशीर्ष और प्रारम्भ .—(1) इन नियमों का नाम डाक-तार पर्यवेक्षक (तकनीकी) भर्ती नियम, 1978 होगा ।